न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 196/14/ दुरूस्ती

मेवाराम पुत्रश्री ज्ञानाराम उम्र 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम खूड़ तहसील व जिला सीकर

—आवेदक

बनाम

1. नारायण पुत्र धन्नाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खूड़ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर
2. पेपादेवी धर्मपत्नी मेवाराम जाति बलाई नि. खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. दुर्गादेवी धर्मपत्नी प्रहलाद राय जाति बलाई नि. खूड़ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर
4. दुर्गादेवी धर्मपत्नी रिछपालसिंह जाति जाट नि. खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अनावेदकगण

आवेदन अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति— 1. श्री शिवपालसिंह वकील आवेदक की ओर से

निर्णय दिनांक— 14.03.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमियां पुराने खसरा नं. 1603/1 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमि खसरा नं. 1603/1 का बंटवारा राजस्व अभियान खूड़ में राजस्व प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाकर आदेश क्रमांक 257 दिनांक 24.11.2010 को जारी किया गया जिसके तहत उक्त बंटवारा आदेश क्रमाक 257 दिनांक 24.11.2010 जारी किये जाने के पश्चात् इसके आधार पर ना.करण सं. 1103 दिनांक 24.11.2010 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त ना.करण का अमल दरामद कर दिया गया, परन्तु उक्त बंटवारा करते समय खसरा नं. 1603/1/1 रकबा 0.20 है., 1603/1/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/3 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/4 रकबा 0.12 है0 अंकित होना चाहिए था, परन्तु सहवन से खसरा नं. 1603/1 रकबा 0.20 है0, 1603/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/3 रकबा 0.1250 है0 व 1603/4 रकबा 0.12 है0 गलत अंकित हो गये तथा इसी अनुसार ना.करण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया क्योंकि उक्त बंटवारा होते समय राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही खसरा न0 1603/2 व 1603/3 जमाबंदी में अस्तित्व में रहे है। इसलिए उक्त बंटवारा तथा इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में समान खसरा नम्बर पूर्व से अस्तित्व वाले खसरा नम्बर मौजूद होने से तथा आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 ता 3 के खसरा नंबर पूर्व खसरा नम्बरों के समान होने के कारण आवेदक के वैध खातेदारी हक अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

गई। इसलिए रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर खसरा नं. 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4 के स्थान पर खसरा नं. 1603/1/1 रकबा 0.20 है0, 1603/1/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/3 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/4 रकबा 0.12 है0 अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है तदहेतु आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हे कि भूमि खसरा नं. 1603/1 रकबा 0.20 है0, 1603/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/3 रकबा 0.1250 है0 व 1603/4 रकबा 0.12 है0 के स्थान पर खसरा नं. 1603/1/1 रकबा 0.20 है0, 1603/1/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/3 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/4 रकबा 0.12 है0 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं. 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ से ली गई।

3. हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया व संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दुरूस्ती की जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भूअ/14/3412 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत् 2067–70 में खाता सं. 191 की खातेदारी ख.नं. 1601 रकबा 0.57 है0 की खातेदारी दुर्गादेवी ध.प. रिछपाल जाति जाट हि0 रकबा 0.20 है. गै.मु. आबादी, पेपादेवी ध.प. मेवाराम हि. रकबा 0.1250 है0, दुर्गादेवी ध.प. प्रहलाद राम हि. रकबा 0.1250 है0, मेवाराम पु. ज्ञानाराम हि. रकबा 0.12 है0 के नाम रेकार्ड में दर्ज है जिसमें ना.सं. 1193 दिनांक 24.11.2010 बंटवारा आदेश कमांक 257 दि. 24.11.2010 कैम्प खूड़ के अनुसार (1) नारायण पुत्र धन्नाराम बलाई ख.नं. 1603/1 रकबा 0.20 है0 गै.मु. आबादी, (2) पेपादेवी ध.प. मेवाराम बलाई ख.नं. 1603/2 रकबा 0.1250 है0, (3) दुर्गादेवी ध.प. प्रहलाद राम बलाई ख.नं. 1603/3 रकबा 0.1250 है0 (4) मेवाराम पुत्र ज्ञानाराम बलाई ख.नं. 1603/4 रकबा 0.12 है0 दर्ज किया जाकर स्वीकृत हुआ है। जबकि खसरा नं. 1603/2, 1603/3 वर्तमान जमाबंदी में पूर्व से ही दर्ज है। बंटवारा आदेश में खसरा नम्बरों का अंकन सहवन से गलत दर्ज हो गया। अतः खसरा नं. 1603/1 रकबा 0.20 है0, 1603/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/3 रकबा 0.1250 है0, 1603/4 रकबा 0.12 है0 दर्ज हो गया जबकि उक्त खसर नंबर के स्थान पर 1603/1/1 रकबा 0.20 है0, 1603/1/2 रकबा 0.1250 है0, 1603/1/3 रकबा 0.1250 है0 व 1603/1/4 रकबा 0.12 है0 का अंकन किया जाना था। चूंकि उक्त बंटवारा के आधार पर ना.करण तस्दीक होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है तथा सैटिलमेंट के पूर्व की अभिलेख की त्रुटि न होकर तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा किये गये बंटवारा प्रस्ताव की लिपिकीय त्रुटि है जिसे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

नियमानुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि बंटवारा प्रस्ताव में लिपिकीय गलती कारित की है प्रार्थी के निवेदन पर तहसीलदार, दांतारामगढ अपने स्तर पर सुधार किये जाने हेतु नियमानुसर सक्षम है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में तहसीलदार, दांतारामगढ के समक्ष चाराजोही करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner